न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 351–एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–02–2011 पारित द्वारा तहसीलदार इंदौर जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 08/अ–76/2009–10.

.....

1–श्रीमती कुसुम पति रविप्रकाश
निवासी 13–ए, स्लाईस नम्बर 1 स्कीम नम्बर 78, इंदौर
2–श्री रविप्रकाश पिता लल्लन मिश्रा
निवासी लसुडिया मोरी सुखलिया इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

महाराष्ट्र ब्राहम्ण सहकारी बैंक लिमिटेड
45 खातीपुरा इंदौर

.....अनावेदक

.....

श्री पी0एम0गेठ, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 27/7/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार इंदौर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–02–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक महाराष्ट्र ब्राहम्ण सहकारी बैंक लिमिटेड 45 खातीपुरा इंदौर द्वारा आवेदकगण से रुपये 51,12,574/– की वसूली हेतु तहसीलदार के समक्ष वसूली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 08/अ–76/2009–10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति उनके सुपुर्द कर राशि जमा करने हेतु समय दिये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–2–2011 को अंतरिम आदेश पारित कर

आवेदन पत्र निरस्त करते हुये पुनः नीलामी हेतु इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 13–10–2015 को आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्को के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निगरानी में प्रश्नाधीन संपत्ति के भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर देने के निर्देश देने के बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति के भूमिस्वामी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, अतः इस गंभीर त्रुटि के कारण तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदिका कमांक 1 द्वारा अनावेदक बैंक से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया गया है, इसलिये उसकी भूमि की नीलामी नहीं हो सकती है ।

(3) आवेदिका कमांक 1 को बिना पक्षकार बनाये उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है।

(4) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी पोषनीय नहीं है क्योंकि आर. आर.सी. के प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एवं द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है ।

(2) आवेदकगण की ओर से उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि रुपये 10,00,000/– से अधिक राशि वसूली की राशि होने से इसकी सुनवाई का अधिकार ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर को है, तहसीलदार को नहीं है, क्योंकि इस संबंध में 2007 आर.एन. 203 में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि रुपये 10,00,000/– से अधिक वसूली योग्य राशि के संबंध में तहसीलदार को सुनवाई का अवसर प्राप्त है ।

6/ निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों एवं अनावेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक महाराष्ट्र ब्राहम्ण सहकारी बैंक लिमिटेड से प्रश्नाधीन संपत्ति बंधक कर ऋण प्राप्त किया गया है और ऋण अदा नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है । तहसीलदार द्वारा आर.आर.सी. जारी करने पर आवेदकगण द्वारा इस आशय का आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति उनके सुपुर्द की जाकर राशि जमा करने हेतु समय दिया जाये । तहसीलदार द्वारा उक्त आपत्ति आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में ही प्रश्नाधीन संपत्ति में लगाये गये शासकीय ताले को तोड़कर हठधर्मिता की गई है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन संपत्ति उनके सुपुदर्गी में कर आवेदकगण द्वारा किये गये अवैधानिक कृत्य को कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सकता है और आवेदकगण को पूर्व में ही अत्यधिक समय दिया जा चुका है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के साथ तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार इंदौर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–02–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर